

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मेसर्स मुन्ना ट्रेडर्स

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9032

08 अगस्त, 2023

(माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

विचार के लिए मुद्दा

क्या बिहार वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा करने पर लगाए गए ब्याज और दंड उचित थे।

हेडनोट्स

असेसी ने कर भुगतान में डिफॉल्ट किया, जो कि अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे पर आधारित था, बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा किया लेकिन धारा 50 के अंतर्गत देय ब्याज नहीं जमा किया; जिससे धारा 122 के अंतर्गत दंड लगा। जमा करने में किसी प्रकार का दबाव नहीं माना गया। असेसी ने अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे की त्रुटि स्वीकार की और बकाया राशि का भुगतान किया जिस पर धारा- 50 के अंतर्गत ब्याज भी देय था। कर का भुगतान न करना और ब्याज न जमा करना लगाए गए दंड को आकर्षित करता है। (कंठिका- 12)

परिपत्र में वर्णित प्रक्रिया याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होती क्योंकि उसने अतिरिक्त दावा स्वीकार कर लिया और कर के रूप में बकाया राशि जमा की। याचिकाकर्ता ने परिपत्र में बताए अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए। लगाया गया दंड उचित था और यह एक सिविल देयता थी, जो गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे पर कर न जमा करने से उत्पन्न हुई। (कंठिका- 13); याचिका खारिज की जाती है। (कंठिका- 14)

न्याय दृष्टान्त

प्राइस वाटरहाउस कूपर्स प्रा. लि. बनाम आयकर आयुक्त, कोलकाता-I, (2012) 11 एससीसी 316

विस्तार सीमा पर संज्ञान हेतु (स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दीवानी) संख्या 3/2020), माननीय उच्चतम न्यायालय

अधिनियमों की सूची

बिहार वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (धारा 50, 61, 73, 107, 109, 122)

मुख्य शब्दों की सूची

बिहार जीएसटी अधिनियम 2017; इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी); अतिरिक्त आईटीसी दावा धारा 50 के अंतर्गत ब्याज; धारा 122 के अंतर्गत दंड; धारा 107(4) के अंतर्गत अपील सीमा; सीबीआईसी परिपत्र 27.12.2022; कोविड-19 के कारण सीमा विस्तार

प्रकरण से उत्पन्न

सहायक आयुक्त, राज्य कर, लखीसराय सर्किल द्वारा जारी आदेश, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता पर बिहार जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत ब्याज और दंड लगाया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री मनोज कुमार केशरी, अधिवक्ता
उत्तरदाता की ओर से: श्री विवेक प्रसाद (जीपी7)

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9032**

=====

मुन्ना ट्रेडर्स, जिसका व्यवसाय गोलपर, बरबीघा, कस्बा और जिला शेखपुरा में है, अपने मालिक मनोज कुमार के माध्यम से, जिनकी आयु लगभग 50 वर्ष है, पुरुष, पिता-स्वर्गीय रघु साओ, डाकघर और थाना बरबीघा, कस्बा और जिला शेखपुरा के निवासी ।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. आयुक्त, राज्य कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य ।
2. अपर आयुक्त, राज्य कर (अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।
3. सहायक आयुक्त, राज्य कर, लखीसराय अंचल, लखीसराय

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री मनोज कुमार केशरी, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी7)

=====

गणपूर्ति : माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख: 08-08-2023

याचिकाकर्ता, जो बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में, 'बीजीएसटी अधिनियम') के तहत एक करदाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक दावे के लिए लगाए गए ब्याज और जुर्माने से व्यथित है, जिसका भुगतान बीजीएसटी अधिनियम के तहत जारी नोटिस के बाद किया गया था। जुर्माने का आदेश अनुलग्नक-4 के रूप में प्रस्तुत किया गया है और दाखिल की गई अपील, विलंब के कारण, खारिज कर दी गई क्योंकि विलंब बीजीएसटी अधिनियम की धारा 107(4) के तहत अनुमत माफी से अधिक था। धारा 107(4) के अनुसार, अपीलीय प्राधिकारी अधिकतम एक महीने के अतिरिक्त समय के लिए ही विलंब को माफ कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि विलंब के लिए पर्याप्त कारण था।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने शुरुआत में ही प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण के समक्ष एक और उपाय उपलब्ध है, जिसका गठन बीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 के तहत नहीं किया गया है। यह भी बताया गया है कि कई मामलों में, जब तक न्यायाधिकरण का गठन नहीं हो जाता और अपील संभव नहीं हो जाती, तब तक यह न्यायालय बकाया कर का 20% भुगतान करने पर वसूली पर रोक लगा देता है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का कोई अतिरिक्त दावा नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता के पास चालान हैं, जिन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। आकलन अधिकारी को दिनांक 27.12.2022 के परिपत्र संख्या एफ. संख्या सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जीएसटी नीति विंग, नई दिल्ली के अनुसार इसकी जांच करने का अधिकार है। अतिरिक्त दावे का भुगतान केवल उत्तरदाता के दबाव में किया गया था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए, इस बात पर जोर देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय *प्राइस वाटरहाउस कूपर्स प्रा. लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, कोलकाता-I, (2012) 11 एससीसी 316* का भी हवाला दिया गया है।

3. सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जुलाई 2017 से मार्च 2018 की कर अवधि के लिए रिटर्न की जांच में ही अनियमितताएँ पाई गईं, जिसके कारण अनुलग्नक-क के अनुसार नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने कर की अंतर राशि का भुगतान तो कर दिया, लेकिन बीजीएसटी अधिनियम की धारा 73(1) के तहत नोटिस दिए जाने के बावजूद देय ब्याज का भुगतान नहीं किया। इस पर आकलन अधिकारी ने ₹ 351532 का ब्याज और जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। यह भी बताया गया कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने में ग्यारह महीने का विलंब हुआ, और विलंब को माफ नहीं किया जा सकता था। चूंकि पहली अपील विलंब के आधार पर खारिज कर दी गई थी, इसलिए न्यायधिकरण में आगे अपील करने का कोई अवसर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब इस न्यायालय को भी अधिनियम के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई अवधि से अधिक विलंब को माफ करने का अधिकार नहीं है, तो याचिकाकर्ता को सांविधिक प्रावधानों के अनुसार दंड से मुक्त नहीं किया जा सकता। देय ब्याज जमा करने का नोटिस मिलने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने उसे जमा नहीं किया, इसलिए वह जुर्माने का देनदार है।
4. याचिकाकर्ता ने मूल्यांकन वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न दाखिल किया था और बीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के तहत जांच करने पर, तीन विसंगतियाँ पाई गईं। जीएसटीआर-1 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा जीएसटीआर-2 ए/2 बी में दर्ज क्रेडिट से ₹4,62,542 अधिक पाया गया। जीएसटीआर-9 सी और आरटी-1 जीटीओ में दर्शाया गया टर्नओवर भी अलग-अलग था। मूल्यांकन प्राधिकरण ने यह भी बताया कि कर का भुगतान मुख्य रूप से आईटीसी के माध्यम से किया गया था।
5. याचिकाकर्ता द्वारा एक जवाब दाखिल किया गया था जिसमें कहा गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे में विसंगति केवल इसलिए थी क्योंकि आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए चालान जीएसटी पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए थे। जहां तक टर्नओवर में अंतर का सवाल था, इसे पूर्ववर्ती कानून, बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत वित्तीय विवरण के अनुसार बताया गया था। जहां तक आईटीसी के माध्यम से करों का भुगतान करने की बात है, तो यह जोर दिया गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ने यह सुनिश्चित किया कि करदाता/याचिकाकर्ता पर कोई और कर देनदारी नहीं है।
6. यह सर्वविदित है कि करदाता ने 08.12.2021 को ₹4,71,290 की इनपुट क्रेडिट कर की अंतर राशि

का भुगतान किया था, जैसा कि अनुलग्नक-3 से प्रमाणित होता है। करदाता ने ज्ञापन में एक संक्षिप्त बयान दिया है कि उत्तरदाता मूल्यांकन प्राधिकारी के दबाव में ही अंतर कर राशि का भुगतान किया गया था। हम इस तरह के दबाव को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, खासकर तब जब यह दलील दो साल बाद एक रिट याचिका में उठाई गई है। अपील भी ग्यारह महीने देरी से दायर की गई थी।

7. महामारी की स्थिति के कारण अपील दाखिल करने में हुई देरी के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 का स्वतः संज्ञान रिट याचिका (ग) सं.3, के संदर्भ में: सीमा में विस्तार के लिए संज्ञान महामारी की स्थिति के कारण 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की समय सीमा को छूट दी थी। यह भी निर्देश दिया गया था कि 01.03.2022 से नब्बे दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है। इस तरह, अपील 29.05.2022 को या उससे पहले दायर की जा सकती थी, जिसका लाभ याचिकाकर्ता ने नहीं उठाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि यदि किसी कानून में 90 दिनों से अधिक की लंबी अवधि दी गई है, तो वह लंबी अवधि लागू होगी। बीजीएसटी अधिनियम की धारा 107(4) के तहत देरी को माफ करने का प्रावधान है, यदि अपील सीमा की समाप्ति के एक महीने के भीतर दायर की जाती है। यदि इसे भी लागू माना जाए, तो अपील 28.06.2022 तक दायर की जानी चाहिए थी।
8. अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के सात महीने बाद, यानी 31.01.2023 को दायर की गई थी।
9. जैसा कि सरकारी अधिवक्ता ने सही बताया है, पहली अपील में पारित आदेश के खिलाफ कोई दूसरी अपील दायर नहीं की जा सकती, क्योंकि इसे देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। बीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 में एक विशिष्ट समय-सीमा दी गई है जिसके भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा देरी से दायर की गई अपील पर, यदि देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखाया जाता है, तो विचार किया जा सकता है। इस विशिष्ट समय-सीमा के बाद देरी से दायर की गई अपील को खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध आगे अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायाधिकरण या यह न्यायालय भी इस तरह के विचार का निर्देश देने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता। इसलिए, अनुलग्नक-7 (2023 का सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1920 जिसका शीर्षक 'एंजेल

एनजिकॉन प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य है और जिसे 16.02.2023 को निपटाया गया था) में पारित आदेशों जैसे आदेशों का पालन करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

10. अब, हम याचिकाकर्ता पर लगाए गए ब्याज और जुर्माने और *प्राइस वाटरहाउस कूपर्स प्रा. लिमिटेड* (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय की प्रयोज्यता पर आते हैं।
11. उपरोक्त उद्धृत निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में ही यह कहा था कि उस मामले के तथ्यों पर जुर्माने का लगाया जाना न्यायसंगत नहीं था। उस मामले में, रिटर्न के साथ दाखिल किए गए विवरण में ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक प्रावधान को कटौती के रूप में दावा किया गया था, जिसमें यह भी कहा गया था कि इसकी अनुमति नहीं है। आकलन अधिकारी ने गलत विवरण देकर कर से बचने के प्रयास के लिए करदाता पर कर की राशि का 300% जुर्माना लगाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करदाता को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर पाया कि की गई गलती "*मामूली गलती*" थी, जिसे न्यायधिकरण और उच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया था। इन्हीं विशेष तथ्यों पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम के तहत करदाता पर लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया।
12. वर्तमान मामले में, यह देखा गया है कि करदाता ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के अत्यधिक दावे के आधार पर कर भुगतान में चूक की थी, और बाद में धारा 50 के तहत देय ब्याज के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा किया था, जिसके कारण धारा-122 के तहत जुर्माना लगा। हम पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि जहां तक जमा का संबंध है, कोई दबाव नहीं पाया जा सकता है। इसलिए, करदाता ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के अत्यधिक दावे के संबंध में विसंगति को स्वीकार किया है और देय राशि का भुगतान किया है, जिस पर बीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के तहत ब्याज भी देय था। देय कर का भुगतान न करना और ब्याज का भुगतान करने में विफलता के कारण जुर्माना लगाया गया।

13. वर्तमान मामले में, परिपत्र पर भरोसा करना भी टिकाऊ नहीं है। यह परिपत्र केवल माल और सेवा कर

व्यवस्था के शुरुआती चरण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जारी किया गया था। इसमें एक विशिष्ट तरीका प्रदान किया गया था जिसके द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावों को बनाए रखा जा सकता था, भले ही दाखिल किए गए विभिन्न रिटर्न में कुछ विसंगतियाँ पाई गई हों। परिपत्र के कंठिका- 4 के तहत एक प्रक्रिया निर्धारित की गई थी जिसके द्वारा इन विसंगतियों को सुधारा जा सकता था और आकलन अधिकारी द्वारा दावे को अनुमति दी जा सकती थी। यह प्रक्रिया याचिकाकर्ता-करदाता पर लागू नहीं होती क्योंकि उसने अतिरिक्त दावे के आरोप को स्वीकार कर लिया है और कर के रूप में देय राशि का भुगतान कर दिया है। याचिकाकर्ता-करदाता ने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को साबित करने के लिए आवश्यक सबूतों के साथ आकलन अधिकारी से संपर्क नहीं किया है, जैसा कि परिपत्र में प्रदान किया गया है। हमें परिपत्र के कंठिका- 6 पर भी ध्यान देना होगा जो विशेष रूप से इंगित करता है कि उस परिपत्र में दिए गए निर्देश केवल वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए चल रही छानबीन/लेखापरीक्षा/जांच, आदि में ही लागू होंगे, न कि पूरी हो चुकी कार्यवाही पर। ये निर्देश संबंधित वर्षों में लंबित किसी भी निर्णय या अपील की कार्यवाही के संबंध में भी लागू होंगे। वर्तमान मामले में, कोई छानबीन या अपील की कार्यवाही लंबित नहीं है और इनपुट टैक्स क्रेडिट में कोई संशोधन नहीं हो सकता है क्योंकि करदाता द्वारा अतिरिक्त दावे के आरोप को स्वीकार कर लिया गया है और अंतर राशि का भुगतान कर दिया गया है। लगाया गया जुर्माना उचित था और एक नागरिक दायित्व था, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावे पर देय कर का भुगतान करने में विफलता के कारण आकर्षित हुआ।

14. हमें रिट याचिका पर विचार करने का बिल्कुल कोई कारण नहीं मिला और हम इसे खारिज करते हैं।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

सुनील/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।